



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

वेबसाइट- <http://samvad.cg.nic.in/> फोन नं. 0771-2512580,81

क्रमांक- 2552 / छगसं. / क्षे. प्र. / 2025

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01 / 09 / 2025

सिग्नल/स्क्वेयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर, सभी जिला मुख्यालय एवं सभी विकासखंड मुख्यालयों में शासन की विभिन्न योजनाओं को सिग्नल/स्क्वेयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित प्रथम निविदा क्र. T202534001 दिनांक 19.06.2025 को निरस्त कर निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए द्वितीय निविदा ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :-

निविदा प्रपत्र शुल्क	रुपये 2,360 /- (जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रुपये 50,000 /- (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	दिनांक 24 / 09 / 2025 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 24 / 09 / 2025 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 24 / 09 / 2025 समय 4:00 बजे सायं से

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था) नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	
छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न शहरों में शासन की विभिन्न योजनाओं का सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु द्वितीय नियम एवं शर्तें	
क्र.	नियम एवं शर्तें
1	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न शहरों में शासन की विभिन्न योजनाओं का सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग (विज्ञापन बोर्ड) के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु स्वयं के स्वामित्व में स्थापित सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु निविदा आमंत्रित किया जा रहा है।
2	विज्ञापन एजेंसी को स्वयं के स्वामित्व के विज्ञापन बोर्ड में विज्ञापन प्रदर्शन का ही दर देना होगा किसी अन्य व्यक्ति संस्था से जॉइंटवेंचर / फेंचाइजी/कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा।
3	सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) को चौक चोराहों पर लोहे के पोल पर खड़ा होना चाहिए जिसकी जमीन से न्यूनतम हाइट 22 फिट(ट्रैफिक एवं नेशनल हाइवे द्वारा निर्धारित ऊंचाई) तक होना चाहिए। जिसमें सिग्नलों के साथ साथ विज्ञापन बोर्ड का निर्माण किया हुआ होना चाहिए। उक्त विज्ञापन बोर्ड में ग्लोसाईन बोर्ड (बैक लिट मीडिया) लगा हो जो कि केन्टीलिवर को दोनों तरफ से एवं लालीपॉप मीडिया को चारों तरफ से दिन एवं रात में प्रदर्शित कर सके।
4	किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का ओसतन न्यूनतम 25 लाख रुपए का UDIN अंकित टर्न ओवर होने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
5	छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग मे निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन की प्रति। जीएसटी पंजीयन की ARN मान्य होगा। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन के प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात् ही संबंधित फर्म से अनुबंध निष्पादन किया जाएगा, पैन कार्ड की प्रति, Assessment Year 2022-23, 2023-24, 2024-25 का आयकर रिटर्न की प्रतियाँ, माह मार्च 2025 का GSTR3B की प्रति। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन नवीन होने की स्थिति में अपने प्रचलित जीएसटी नंबर का माह मार्च 2025 की जीएसटी रिटर्न की प्रति ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
6	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 2,360/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 50,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है:- Account Name : Chhattisgarh Samvad Bank Name : Indian Bank Branch Name : Sector-27, Nawa Raipur (C.G.) Saving Account No. : 20246301259 IFSC Code No. : IDIB000N571
7	प्रचार- प्रसार हेतु उपयुक्त मीडिया की न्यूनतम साइज़ केन्टीलिवर का (5'x3') feet एवं पैदल पथ सूचक पर लाली पॉप बोर्ड की साइज़ 3' x 4'x4 feet का होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु उक्त मीडिया का रसीद/ अनुमति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
8	स्वयं के स्वामित्व वाले सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) का नगर पालिक निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत /अन्य संबंधित शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था से जारी वैध सूची निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नगर निगम अथवा जो भी शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था का क्षेत्र अधिकार है, उसकी अनुमति पत्र सलग्न करना होगा। साथ ही यातायात पुलिस प्रशासन का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना है।

9	छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट "samvad.cg.nic.in" में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है।
10	निविदा में प्राप्त दरो के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित कर निर्धारित दरो में कार्य करने में सहमत योग्य एजेंसियों की 02 वर्षों के लिए पैनेल तैयार किया जाएगा। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले एजेंसियों को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर न्यूनतम निर्धारित दरो में पैनेल के एजेंसियों को कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
11	विज्ञापन एजेंसी को मीडिया की सूची एवं साइज़ सहित शहर/ ब्लॉक अनुसार देना होगा जिसके लिए सूची अनुसार अक्षांश/ देशांश वाली फोटो की छायाप्रति टेक्निकल बिड में ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12	सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) हेतु निर्धारित अवधि व वांछित आकार, प्रकार एवं संख्या में कमी पाए जाने पर संवाद द्वारा गठित समिति से परीक्षण कराया जायेगा और कार्यदिश के अनुरूप नहीं होने पर कमी का आंकलन कर उसके अनुरूप देयक से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
13	सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) लगाने की निर्धारित अवधि में Printing Media लगाने, रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकता होने पर इसे बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। मीडिया/मटेरियल माउंटिंग हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। Printing Media हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री NGT तथा समय समय पर केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जिसका उत्तरदायित्व सम्बंधित एजेंसी की होगी।
14	विज्ञापन एजेंसी को उक्त चौक चौराहों पर स्वयं के स्वामित्व दर्शाने के लिए साक्ष्य हेतु निगम/ शासन के द्वारा देय अनुमति पत्र एवं नहीं कि स्थिति में उक्त चौक चौराहों को संचालित बिजली के मीटर की चालू माह की रसीद सहित विज्ञापन एजेंसी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15	सम्बंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जाएगा। कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी द्वारा कार्य पश्चात् जीपीएस फोटोग्राफ्स एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद शासन की एक एजेंसी है एवं संबंधित विभाग के कार्यदिश अनुरूप फर्मों से कार्य कराया जाता है। इसलिए संबंधित विभाग द्वारा कार्य एवं देयक सत्यापन पश्चात् भुगतान करने पर कार्य पूर्ण माना जायेगा। संबंधित एजेंसी द्वारा देयक की तिथि से नियत समय में निर्धारित जीएसटी की राशि संबंधित विभाग में जमा करायी जानी होगी। एजेंसी के देयकों के भुगतान के समय एजेंसी द्वारा देयक में उल्लेखित तथा तदानुसार जमा की गई जीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा की जाएगी।
16	नगर निगम/स्थानीय प्रशासन में कोई टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। टैक्स बकाया नहीं होने का संबंधित निगम/प्रशासन से प्रमाण पत्र टेक्निकल बिड में जमा करना होगा।
17	निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत एवं नियम शर्तों को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
18	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची में डाले गये एजेंसी निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में एजेंसी को 50 रूपए के स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि एजेंसी को कहीं भी काली सुची में नहीं डाला गया है। शपथ पत्र कि मूल प्रति (हार्डकॉपी) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र .10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा।

19	जन, धन एवं थर्ड पार्टी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित एजेंसी की होगी। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद उत्तरदायी नहीं होगा समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं से यथा आवश्यक अनुमति /प्रमाण पत्र/NOC एजेंसी के पास होनी चाहिए।
20	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दरें निविदा अनुमोदन की तिथि से 02 वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके पश्चात् अवधि में कम, वृद्धि व निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा। निविदा समिति को दरों में निगोसियेशन का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा समिति द्वारा निविदा दर/D.A.V.P. में उपलब्ध दर/ अन्य शासकीय संस्था में प्रचलित दर /अन्य दर अनुसार निगोसियेशन कर दर निर्धारण किया जायेगा।
21	आमंत्रित दर में मीडिया/मटेरियल मुद्रण की दर शामिल नहीं होगा। बैकलिट मीडिया 250 gsm का छत्तीसगढ़ संवाद में निविदा द्वारा निर्धारित दर @22.50 प्रति वर्ग फीट (जीएसटी अतिरिक्त) पृथक से भुगतान किया जाएगा। उक्त निविदा के L-1 दर पर कार्य मान्य होगी। मीडिया/ मटेरियल का मुद्रण छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित गुणवत्ता, आकार-प्रकार अनुसार करना अनिवार्य है, मुद्रण सामग्री के आकार में कमी होने पर 2.5 प्रतिशत तथा मुद्रण की गुणवत्ता/जीएसएम में कमी होने पर 2.5 प्रतिशत एवं दोनों कमी पाये जाने पर 5 प्रतिशत दर पर अनुपातिक दर के अतिरिक्त पेनाल्टी कटौती की जायेगी। पेनाल्टी तय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
22	निविदा में प्राप्त न्यूनतम (L1) दर एवं (L2) दर में ज्यादा अंतर होने एवं दर व्यावहारिक न होने की स्थिति में संबंधित आइटम के दर को अमान्य कर शेष आइटम के दरों को स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
23	निविदा की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा।
24	निविदा दरे निविदा अनुमोदन तिथि से आगामी 2 वर्ष के लिए मान्य रहेगी आवश्यकता होने पर निविदा अवधि में वृद्धि करने या कम करने अथवा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
25	जिस निकाय से फर्म को स्थापित सिग्नल स्कयेर ब्रांडिंग की रसीद / अनुमति प्राप्त होगी उसी निकाय में स्कयेर ब्रांडिंग को सूचीबद्ध किया जायेगा ।
26	सिग्नल स्कयेर ब्रांडिंग की रसीद / अनुमति नगर निगम, नगर पालिका से नहीं होने की स्थिति में जिला मुख्यालय में सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा । उसे विकासखंड मुख्यालय में सूचीबद्ध किया जायेगा ।
27	नवा रायपुर में स्थापित सिग्नल स्कयेर ब्रांडिंग के साक्ष्य हेतु नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से प्राप्त रसीद /अनुमति प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना होगा ।
28	जो एजेंसी प्रस्तावित कार्य के लिए यदि L-1 है और कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण से जाहिर करता है तो उसे तीन माह तक कोई कार्य नहीं दिया जायेगा । L1 एजेंसी के साथ दोबारा उक्त स्थिति निर्मित होने पर संबंधित एजेंसी को 01 वर्ष के लिए काली सूची में डाला जाएगा ।
29	एजेंसी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को सिग्नल/ स्कयेर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु निविदा के सभी नियम एवं शर्तें मान्य है।
30	वित्तीय प्रस्ताव में उल्लेखित अवधि के अलावा अन्य अवधि हेतु कार्य की आवश्यकता होने/समय कम या ज्यादा होने पर दोनों स्थिति में न्यूनतम अनुपातिक दर पर कार्य कराने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

31	आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
32	व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ संवाद

जिला- रायपुर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक , सेक्टर-19 , अटलनगर

जिला - रायपुर ,छत्तीसगढ़

सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु द्वितीय वित्तीय प्रस्ताव

S .N.	Work Name	Duration	Rate(GST Excluding)
1	विज्ञापन बोर्ड :- रायपुर नगर पालिक निगम एवं नवा रायपुर अटल नगर में सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें (सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) को चौक चोराहों पर लोहे के पोल पर खड़ा होना चाहिए जिसकी जमीन से न्यूनतम हाइट 22 फिट(ट्रैफिक एवं नेशनल हाइवे द्वारा निर्धारित ऊंचाई) तक होना चाहिए।) 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)	
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
2	विज्ञापन बोर्ड :-सभी जिला मुख्यालय (रायपुर नगर पालिक निगम एवं नवा रायपुर अटल नगर को छोड़कर) में सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें (सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) को चौक चोराहों पर लोहे के पोल पर खड़ा होना चाहिए जिसकी जमीन से न्यूनतम हाइट 22 फिट(ट्रैफिक एवं नेशनल हाइवे द्वारा निर्धारित ऊंचाई) तक होना चाहिए।) 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)	
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
3	विज्ञापन बोर्ड :- छत्तीसगढ़ (जिला मुख्यालयों को छोड़कर) प्रदेश के सभी विकासखण्ड मुख्यालय में सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें (सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) को चौक चोराहों पर लोहे के पोल पर खड़ा होना चाहिए जिसकी जमीन से न्यूनतम हाइट 22 फिट(ट्रैफिक एवं नेशनल हाइवे द्वारा निर्धारित ऊंचाई) तक होना चाहिए।) 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)	
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	

टीप: उपरोक्त दरों के अलावा नियम शर्तों के बिंदु क्र . 21 में उल्लेखित माडिया / मटेरियल मुद्रण दर-बैकलिट मीडिया 250 gsm में माडिया/ मटेरियल मुद्रण दर @22.50 प्रति वर्ग फीट एवं जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा।

दिनांक :

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

हस्ताक्षर (सील मुद्रा)

पूर्ण पता:

मोबाईल नं.



(रु. 50 /— के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ-पत्र

मैं _____ संस्था प्रमुख निवासी _____ छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा हेतु प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था _____ किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर